राष्ट्रीयएलुमिनियमकंपनी (नेल्को) द्वारा एलुमिनियम प्रगालक (स्मेल्टर) के प्रदूषण स्तर का सर्वेक्षण

854. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार "नेल्को" के एलुमिनियम प्रगालक (स्मेल्टर) का प्रदूषण-स्तर बहुत अधिक ऊंचा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे नियंत्रित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए जाने वाले प्रदूषण-रोधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) सरकार को किसी ऐसे सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि नेल्को के एलुयूमिनियम प्रगालक का प्रदूषण स्तर बहुत ऊंचा हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा उद्योगों से होने वाले प्रदूषणों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत है:—

(1) अधिकांश प्रदूषणों के लिए निःस्राव और उत्सर्जन मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

(2) उद्योगों की स्थापना और प्रचालन के लिए पर्यावरणात्मक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(3) उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अनुकूल शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है;

(4) उद्योगों को समय-बद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया है;

(5) आस-पास के वायु स्तर के संबंध में मानदण्ड अधिसूचित किये गये हैं;

(6) औद्योगिक क्षेत्र के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं;

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानान्तरित करने के लिए भी उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(8) चालू योजना के तहत सामूहिक निःस्राव प्रतिपादन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु उद्योग यूनिटों के समूहों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

औद्योगिक विवादों तथा श्रमिकों से संबंधित मामलों का निपटान करने हेतु अधिकरण

855. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पांच वर्षों से अधिक वर्षों से लंबित पड़े औद्योगिक विवादों तथा श्रमिकों से संबंधित मामलों का निपटान करने हेतु और अधिक न्यायालय तथा अधिकरण गठित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामलों के निपटान में गति लाने की दृष्टि से प्रक्रियात्मक बदलाव लाना एक सतत् प्रक्रिया है, हाल ही में इस संबंध में किए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

— पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामलों के निपटान के मानक नियम कर दिये गये हैं;

— दीर्घ काल से लम्बित मामलों के निपटान के लिए संभावित उपचारात्मक उपायों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए समीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं;

— जबकि पुराने मामलों को अग्रता दी जाती है, परन्तु नये मामले उन न्यायालयों को दिये जाते हैं जहां कम मामले लम्बित हैं;

— विवाद पक्षों को स्थगन लेने से हतोत्साहित किया जाता है और जहां अपरिहार्य हो अल्पावधि स्थगन दिये जाते हैं। उन्हें सभी संबंधित औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूरा कर लेने के लिए भी कहा जाता है;

— संसाधन तंत्र में सुधार करना और सुदृढ़िकरण करना ताकि संसाधन की अवस्था पर ही अधिकाधिक मामलों को निपटाया जा सके;

— श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों को शीघ्रता से भरना;

— जहां संभव हो लोक अदालत आयोजित करना।

Super Bazar consumer services

856. SHRI GOPALSINH S. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether a 'social audit' panel was constituted to look into various aspects of Super Bazar consumer services;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of achievements made so far in this regard;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the measures to be taken thereon?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(c) to (e) Do not arise.

Technology upgradation by small entrepreneurs

857. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether National Small industries Corporation has offered opportunities to small entrepreneurs to upgrade their technology; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) The National Small Industries Corporation Limited through its Prototype Development and Training Centres assists small scale enterprises to test the products and upgrade the same in conformity with the national and international specifications. It also helps small scale units to upgrade their technology by providing latest machines under their Leasing Scheme.

NSIC through its Technology Transfer Centre caters to the needs of Small entrepreneurs with regard to technology acquisition, adoption and upgradation. This Centre disseminates technology information from leading data banks and helps in enterprise cooperation between Indian and Foreign enterprises.

Role of Trade Unions in the disinvestment process of PSUs

858. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to deprive the trade union of any active role in the disinvestment process of the public sector undertakings;

(b) whether trade unions representatives are not going to be included even in the proposed Disinvestment Commission; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The setting up of the Disinvestment Commission is under consideration of the Government.

निर्यात के प्रोत्साहन हेतु कार्य-योजना

859. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्यात-क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बाजारों का पता लगाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य-योजना के अंतर्गत आरंभ किये गये कार्य का नवीनतम ब्यौरा क्या है; और